## चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 88 दिनांक : 15 - 4-2013

सचिव, रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—3851(1)/71—2—12—एन—52/2011, दिनांक 12.12.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा—37(2) के अधीन रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 150 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012—13 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. संस्था द्वारा निरीक्षण आख्या / प्रपत्र बी में इंगित किमयों / सभी अर्हतायें तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या—एम0सी0आई0—34(41) / 2011—मेड / 113702 दिनांक 23.06.2012 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लिया जायेगा।

2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

असंस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण ७०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।

 संस्था द्वारा प्रवेशित विधार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रंग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।

5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपित जी के आदेशानुसार रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 150 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्वित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012—13 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को भूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सचनार्थ प्रेषित।

6. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

7. गार्ड फाइल हेत्।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता) कृते कुलसचिव

Mark of the state of the state

C:PUNIT\AFFIL 2 (937)

### Ch. Charan Singh University, Meerut

Letter No.Affil./88 Date: 15-04-2013

Secretary, Rama Medical College Hospital and Research Centre, Ghaziabad, Sir,

Kindly refer to the letter No.3851(1)/71-2-12-N-52/2011 dated 12-12-2012 of Under Secretary Medical Education, Section-2 Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow, by means of which, powers conferred by the Uttar Pradesh State University Act, 1973 (Amendment) Ordinance, 2007 under section 37 (2) of the Uttar Pradesh State University Act, 1973; approval of affiliation is accorded to Rama Medical College Hospital and Research Centre Ghaziabad for MBBS course with intake capacity of 150 seats for the academic session 2012-13 under self financed scheme subject to following terms and conditions:-

- 1- The institution shall rectify the defects / all eligibilities mentioned in the inspection report/ Form B and fulfill the terms and conditions of letter No. M.C.I. 34(41)/2011-Med./113702 dated 23.06.2012 of the Medical Council of India.
- 2- The institution will charge the same amount of fee on the students as fixed by the Government and ensure compliance of guide lines of the Government regarding mode and method of admission in the Medical College.
- 3-The institution will ensure to make available the information of admitted candidates and vacant seats according to rules and regulations to the Director General Medical Education and Training Uttar Pradesh within time frame stipulated by them and will comply the Government orders issued from time to time in this regard.
- 4- Examination of the admitted students will be conducted by the institution according to M.C.I Regulations only after prescribed teaching days.
- 5- The institution will ensure compliance of University's statutes and ordinance regarding admission and examinations.

In view of approval of sanction accorded by the State Government in anticipation of sanction of Executive Council, by the order of Hon,ble Vice Chancellor, the approval of affiliation is granted to Rama Medical College Hospital and Research Centre Ghaziabad for MBBS course with annual intake of 150 seats the academic session 2012-13 subject to the above mentioned terms and conditions under self financed Scheme. It is further informed that admissions of the students in the aforesaid course will be done in accordance with directions of the University.

Sincerely

Deputy Registrar (Affiliation) For Registrar

#### Copy to:-

- 1- Secretary, Medical Education Section-2, Government of Uttar Pradesh, Lucknow for information.
- 2- Assistant Registrar, (Accounts) for information.
- 3- Incharge, Committee Cell, Ch. Charan Singh University for information.
- 4- Incharge, Store, Ch. Charan Singh University for information.
- 5- Incharge, Confidential (Professional) Cell, for information.
- 6- Incharge, Internet with intent that he may kindly upload the concerned institution/ name of the course on the website of the University.

7- Guard File.

Rama Medical College, Hospital & Research Center, Rama City, NH-24 (38 Km. Mile Stone), Hapur-245304 Deputy Registrar (Affiliation) For Registrar

# चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 88 दिनांक : 15 - 4 - 2013

सचिव,

रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—3851(1)/71—2—12—एन—52/2011, दिनांक 12.12.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहल उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा—37(2) के अधीन रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 150 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012—13 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. संस्था द्वारा निरीक्षण आख्या / प्रपत्र बी में इंगित कमियों / सभी अर्हतायें तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या—एम0सी0आई0—34(41) / 2011—मेड / 113702 दिनांक 23.06.2012 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लिया जायेगा।

 संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम / विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

असंस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण ७०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।

4. संस्था द्वारा प्रवेशित विधार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।

5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपित जी के आदेशानुसार रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 150 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्विवत्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012—13 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुल्सचिव

#### प्रतिलिपि :-

सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालरा को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कृष्ट करें।

गार्ड फाइल हेत्।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता) कृते कुलसचिव

C:PUNIT\AFFIL\_2. (937)